उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय
जयपुर

संख्या– उ.प.रे./प्र.का./संरक्षा/संरक्षा परिपत्र/10/24

दिनांक 08.10.2024

मण्डल रेल प्रबंधक– अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर

मुख्यालय संरक्षा सर्कुलर 10/2024

निष्क्रिय (डेड) इंजनों को लगाने व ले जाने के लिए नियम

इस विषय पर जारी तकनीकी पूर्वोपाय/अनुदेशों के अतिरिक्त निम्नांकित शर्तों का संतुष्टीकरण, निष्क्रिय इंजन को किसी गाडी/अकेले इंजन में लगाने से पूर्व करना चाहिए।

(क) निष्क्रिय रेल इंजनों को लगाने के लिए शर्तें

(i) सवारी/मालगाडी के लिए सेक्शन इंजीनियर/वरि. सेक्शन इंजीनियर (लोको)/पॉवर नियंत्रक द्वारा "चलने के लिए फिट" प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(ii) निष्क्रिय रेल इंजन का मार्गरक्षण एक सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाए जो सहायक लोको पायलट से कम स्तर का न हो।

(iii) निष्क्रिय रेल इंजन की अधिकतम अनुमेय गति, गाड़ी की अधिकतम अनुमेय गति से कम नहीं होनी चाहिए।

(iv) यह सुनिश्चित करने के प्रबन्ध किए गए हैं कि निष्क्रिय रेल इंजन के ब्रेक, चालू रेल इंजन के बिलकुल एक साथ लगाए जा सकें।

(v) जिस सेक्शन पर निष्क्रिय रेल इंजन खींचा जाना है वहाँ आगे चलने वाले दोहरे/तिहरे रेल इंजनों को चलाने की अनुमति है।

(vi) जब बिजली के किसी निष्क्रिय रेल इंजन को गैर–विद्युतीकृत सेक्शन पर चलाया जाना हो तो इसके अधिकतम संचालन आयामों की अतिलंघन अनुसूची के संबंध में विशेष जॉच की जानी चाहिए. किसी भी अतिलंघन के मामले में निष्क्रिय रेल इंजन को ओ.डी.सी. के रूप में माना जायेगा।

(vii) अंतिम जॉच के रूप में दोनों रेल इंजनों को लगभग 500 मीटर तक चलाया जाए और लोको पायलट यह जॉच करें कि निष्क्रिय रेल इंजन के पहियों के तापमान में कोई असामान्य बढ़ोत्तरी तो नहीं हुई है और यात्रा के दौरान आने वाले बाद के ठहरावों पर भी ये जॉच की जाए।

उपर्युक्त के अलावा निष्क्रिय रेल इंजनों को कर्षित करने (खींचने) के लिए निम्न लिखित एहतियात बरती जाए।

(ख) निष्क्रिय रेल इंजनों को सवारी गाडियों मे लगाना/कर्षित करना :–

(i) मेल या एक्सप्रेस या सवारी गाडी में केवल एक निष्क्रिय रेल इंजन (डीजल/बिजली) ही लगाया जा सकता है।

(ii) निष्क्रिय रेल इंजन को छोडकर गाडी की है। शेष 100 प्रतिशत होनी चाहिए।

(iii) निष्क्रिय रेल इंजन को गाडी के इंजन के हटने बाद ही जोडा जा सकता है।

(iv) जहाँ तक संभव हो ब्रेक निष्क्रिय रेल इंजन पर कार्य करें। वहनशील, यदि यह संभव न हो तो एअर ब्रेक वाली गाडी के मामले में चालू रेल इंजन के ब्रेक पाईपों और फीड पाईपों को पुच्छल (ट्रेलिंग) स्टॉक के ब्रेक पाईप और फीड पाइप से जोड दें और निष्क्रिय रेल इंजन पाइप्ड वाहन के रूप मे कार्य करेगा।

Scanned with OKEN Scanner

वैक्यूम ब्रेक वाली गाड़ी के मामले में रेल इंजन के वैक्यूम पाईप को पुच्छल (ट्रेलिंग) स्टॉक के वैक्यूम ट्रेन पाईप से जोड़ दें और निष्क्रिय रेल इंजन को पाइप्ड वाहन के रूप में माना जाए। यदि रेल इंजन में पूर्ण एअर ब्रेक प्रणाली फिट है और वैक्यूम पाईप की व्यवस्था न की गई हो तो इसे केवल एअर ब्रेक गाड़ियों के साथ ही लगाया जाए।

(ख) किन्ही भी परिस्थितियों में सुपर फास्ट गाड़ियों में निष्क्रिय इंजन नहीं जोड़ा जायेगा।

(ग) निष्क्रिय रेल इंजन को मालगाडी के साथ लगाना सुनिश्चित करना।

भार के साथ अधिकतम तीन इंजनों (दो चालू + एक निष्क्रिय) का संचालन अनुमेय है बशर्ते कि संरचना में आगे चलने वाले दोहरे/तिहरे चालू रेल इंजनों के परिचालनों पर लगे सभी प्रतिबंधों का पालन किया जाए और निष्क्रिय इंजनो के ब्रेक चालू हालत में हो।

****

10/10/24

उप मुख्य संरक्षा अधिकारी(याता.)

प्रतिः–

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी :–अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर– को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्र.मु.बि.इंजी., प्र.मु.परि.प्रब., प्र.मु.या.इंजी., प्र.मु.इंजी, मु.सि.व दूर सं.इंजी, प्राचार्य क्षे.रे.प.सं.– को सूचनार्थ।

अपर महाप्रबंधक के सचिव– अपर महाप्रबंधक उ.प.रे. को सूचनार्थ।

महाप्रबन्धक के सचिव– महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।

Scanned with OKEN Scanner